

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

**LGD Notification**  
**Creation of New Subdistrict**

**Published By**

Name Digpal Singh Kushwah  
Designation System Analyst  
Mobile no. 7898682418  
IP Address 103.160.49.41  
On date 13/05/2024

**Proposed By**

Name Dinesh Ratan Gautam  
Designation JDEO  
Mobile no. 9713798836  
IP Address 103.160.49.41  
On date 08/05/2024

District Name Khandwa (East Nimar)  
SubDistrict Name (In English) Mundi  
SubDistrict Name (In Local language) मूंदी  
How the Subdistrict is Formed? New Sub District is Created by Contribution from Two or More su District.  
Subdistrict Effective Date 24/09/2021

**CONTRIBUTED SUBDISTRICT LIST**

Subsitric Code	Subsitric Name	Coverage Type
3717	T	PART

**CONTRIBUTED VILLAGES LIST**

Village Code	Village Name	Coverage Type
506044	V	FULL
506025	V	FULL
506054	V	FULL
506038	V	FULL
505935	V	FULL
506050	V	FULL
506045	V	FULL
506024	V	FULL
505929	V	FULL
505927	V	FULL
505919	V	FULL
505925	V	FULL
506048	V	FULL
506028	V	FULL
506063	V	FULL
506031	V	FULL
505921	V	FULL
506060	V	FULL
506049	V	FULL
506029	V	FULL
505926	V	FULL
506057	V	FULL
506043	V	FULL
506051	V	FULL
506047	V	FULL
505928	V	FULL
506062	V	FULL
506052	V	FULL
506055	V	FULL
505994	V	FULL
506042	V	FULL
506056	V	FULL

Village Code	Village Name	Coverage Type
505934	V	FULL
506074	V	FULL
505924	V	FULL
506059	V	FULL
506039	V	FULL
505993	V	FULL
505920	V	FULL
505995	V	FULL
505989	V	FULL
505931	V	FULL
506053	V	FULL
505930	V	FULL
506058	V	FULL
506061	V	FULL
505932	V	FULL
505918	V	FULL
506040	V	FULL
506046	V	FULL
505923	V	FULL
506026	V	FULL
505917	V	FULL
506041	V	FULL
506036	V	FULL
506027	V	FULL
506030	V	FULL

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-09-2020-सात-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा की तहसील हरसूद की सीमाएं, उसमें से प.ह.क्र. 1 से 16 (32 ग्राम) तथा पूर्ण डूब के 31 ग्राम व 1 वनग्राम, इस प्रकार कुल 64 ग्राम अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है और प.ह.क्र. 1 से 16 (32 ग्राम) तथा पूर्ण डूब के 31 ग्राम व 1 वनग्राम, इस प्रकार कुल 64 ग्राम समाविष्ट करते हुये नवीन तहसील किल्लौद का सृजन करती है, जिसमें कुल 16 पटवारी हल्के और 64 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय किल्लौद में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-09-2020-सात-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-09-2020-सात-7 दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 24<sup>th</sup> September 2021

No. F 01-09-2020-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Harsud of District Khandwa from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 16, 31 submerged villages and 01 Forest village and creates a new Tehsil Killod by comprising of Patwari Halka No. 01 to 16, 31 submerged villages and 01 Forest village which shall be comprised of 16 Patwari Halka and 64 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Killod.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-07-2020-सात-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बुरहानपुर की तहसील नेपानगर की सीमाएं, उसमें से प.ह.क्र. 1 से 11 तक कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और प.ह.क्र. 1 से 11 तक कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम को समाविष्ट करते हुये नवीन तहसील धूलकोट का सृजन करती है, जिसमें कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय धूलकोट में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 01-07-2020-सात-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-07-2020-सात-7 दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 24<sup>th</sup> September 2021

No. F 01-07-2020-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Neapanagar of District Burhanpur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 11 and 14 villages and creates a new Tehsil Dhulcot by comprising of Patwari Halka No. 01 to 11 and 14 villages which shall be comprised of 11 Patwari Halkas and 14 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Dhulcot.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ-1-08-2020-सात-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा की तहसील पुनासा की सीमाएं उसमें से रा.नि.मं. मूंदी के प.ह.क्र. 60 से 82, रा.नि.मं. मोहना के प.ह.क्र. 32,34,35 तथा रा.नि.मं. पुनासा के प.ह.क्र. 51 से 55 को अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है और रा.नि.मं. मूंदी के प.ह.क्र. 60 से 82, रा.नि.मं. मोहना के प.ह.क्र. 32,34,35 तथा रा.नि.मं. पुनासा के प.ह.क्र. 51 से 55 को समाविष्ट करते हुये नवीन तहसील मूंदी का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 60 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय मूंदी में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ-1-08-2020-सात-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक 1-08-2020-सात-7 दिनांक 24 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 24<sup>th</sup> September 2021

No. F 01-08-2020-VII-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Punasa of District Khandwa from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 60 to 82 of Revenue Circle Mundi, Patwari Halka No. 32,34,35 of Revenue Circle Mohna and Patwari Halka No. 51 to 55 of Revenue Circle Punasa and creates a new Tehsil Mundi by comprising of Patwari Halka No. 60 to 82 of Revenue Circle Mundi, Patwari Halka No. 32,34,35 of Revenue Circle Mohna and Patwari Halka No. 51 to 55 of Revenue Circle Punasa which shall be comprised of 31 Patwari Halka and 60 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mundi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.